

राजस्थान सरकार
मंत्रिमण्डल सचिवालय

क्रमांक: प0 1(6)मं.म/2024

जयपुर, दिनांक:

—: परिपत्र :—

राजस्थान विधान सभा का आगामी सत्र (बजट सत्र) शीघ्र ही आरम्भ होने की संभावना है। जिसमें माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा अभिभाषण पढ़ा जावेगा। इस अभिभाषण में यथा संभव राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 की महत्वपूर्ण उपलब्धियों एवं नीतिगत निर्णयों का संक्षेप में विवरण होगा। इसके अतिरिक्त आगामी वित्तीय वर्ष में जिन योजनाओं एवं कार्यक्रमों को आरम्भ किया जावेगा उनका भी संक्षिप्त विवरण सम्मिलित होगा।

राज्यपाल अभिभाषण-2025 की सामग्री में सम्मिलित किये जाने वाले महत्वपूर्ण बिन्दू निम्नानुसार हैं:-

क्र.सं.	विवरण
1.	विभाग द्वारा अर्जित प्रमुख उपलब्धियां।
2.	विभाग को राष्ट्रीय/राज्य स्तर पर प्राप्त पुरस्कार/प्रशंसा-पत्र।
3.	नवीन योजनाएं/नीतियां/नवाचारों का विवरण।
4.	नियुक्तियां/रोजगार का विवरण (दिये गये रोजगार एवं प्रक्रियाधीन रोजगार को पृथक-पृथक दर्शाया जाए)।
5.	जिन योजनाओं में भुगतान की ऑनलाईन प्रक्रिया अपनाई गई है, उनका विवरण एवं ऑनलाईन किये गये भुगतान का विवरण।
6.	उपरोक्त सूचनाओं के अलावा ऐसी सूचनाएं जो विभाग माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में सम्मिलित कराया जाना आवश्यक एवं उचित मानते हैं।
7.	विभाग द्वारा सम्पन्न कराये गये विशेष अभियान का विवरण।
8.	विकास/उपलब्धियों के अद्यतन (Latest) आंकड़े।

राज्यपाल अभिभाषण तैयार करते समय निम्नांकित दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित कर, **अभिभाषण की सामग्री सरल हिन्दी भाषा में दिनांक 26 दिसम्बर, 2024 तक मय सॉफ्ट कॉपी व तीन हार्ड प्रतियों में** इस सचिवालय को आवश्यक रूप से प्रेषित की जावे:-

- समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव, शासन सचिव एवं विशिष्ट शासन सचिव अपने अधीन विभागाध्यक्षों को यह निर्देश दें कि वे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में सम्मिलित किए जाने योग्य सामग्री तत्काल प्रशासनिक विभाग को भिजवा दें।
- विभागाध्यक्ष अपने स्तर पर प्रशासनिक सचिव को भिजवा दें। महत्वपूर्ण सूचना का ही संकलन करें, जिसका राज्यपाल अभिभाषण में सम्मिलित किया जाना वांछनीय हो और जो विभाग की उपलब्धि/प्रतिपाद्य कार्यक्रमों पर प्रकाश डालती हो।



Signature valid
Digitally signed by Jagan Ram
Designation: Secretary To
Government
Date: 2024.12.05 15:39:36 IST
Reason: Approved

3. सभी अति० मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव, शासन सचिव एवं विशिष्ट शासन सचिव अपने स्तर पर केवल उतनी ही सामग्री का अभिभाषण के लिये चयन करें, जिसका अभिभाषण में सम्मिलित किया जाना परमावश्यक हो। यथा संभव संकलित सामग्री एक पृष्ठ से अधिक की ना हो, ताकि उसको अधिक संक्षिप्त करने में इस सचिवालय/सूचना एवं जन सम्पर्क निदेशालय को अधिक काट-छांट नहीं करनी पड़े।
4. राज्यपाल अभिभाषण के लिए भेजी जाने वाली सामग्री में जहां कहीं भी उपलब्धियों अथवा धनराशि से संबंधी आंकड़े दिये जावें, वे शब्दों में अंकित किये जावें।
5. इस सचिवालय को भेजी जाने वाली सामग्री संबंधित अति० मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव से प्रमाणीकरण के उपरान्त ही प्रेषित की जावे।
6. अनुभाग/प्रकोष्ठ अभिभाषण की सामग्री सीधे मंत्रिमण्डल सचिवालय को ना भेजकर संबंधित सचिवगण को प्रेषित करें तथा संबंधित सचिव/विभागाध्यक्ष पूर्ण सामग्री इकजाई कर, मंत्रिमण्डल सचिवालय को प्रेषित करें।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करें।

(डॉ. जोगा राम)
शासन सचिव

1. समस्त अति० मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव।
2. समस्त विभागाध्यक्ष।
3. सचिवालय के समस्त विभाग/अनुभाग एवं प्रकोष्ठ।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
3. आयुक्त, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर। कृपया प्राप्त सामग्री का संक्षिप्तकरण कर उपलब्ध करावें।
4. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर (उप निदेशक), सामान्य प्रशासन विभाग को मंत्रिमण्डल सचिवालय की वेबसाईट पर अपलोड किए जाने हेतु।

Signature valid

Digitally signed by Joga Ram
Designation: Secretary To
Government
Date: 2024.12.05 15:39:36 IST
Reason: Approved